न्यायालय अति० जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/73/2024	2024/66	09.12.2024	09.01.2025

1. विजय पुत्र रामप्रसाद,
2. धर्मचन्द पुत्र रामप्रसाद,
3. गीता देवी पुत्री रामप्रसाद जाति माली निवासी ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
4. सन्तोष पुत्री रामप्रसाद जाति माली निवासी ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान) हाल पत्नि बलवान सैनी निवासी सोहना ढाणी तहसील सोहना जिला गुरूग्राम। (हरियाणा)

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

असल रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास हाल तहसीलदार खैरथल नामान्तकरण संख्या 918 दिनांक 12.11.2024 ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री अब्दुल कलाम – वकील अपीलान्ट

–: निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 918 निर्णय दिनांक 12.11.2024 ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 39 रकबा 0.3700 है0 का 1/336 भाग, 172 रकबा 0.11 है0 का 1/280 भाग, 18 रकबा 0.03 है0, 20 रकबा 0.03 है0 किता 2 रकबा 0.06 है0 का 1/840 भाग, 359 रकबा 0.67 है0, 370 रकबा 0.63 है0, किता 2 रकबा 1.30 है0 का 1/210 भाग, 173 रकबा 0.28 है0, 174 रकबा 0.09 है0, 175 रकबा 0.08 है0, 176 रकबा 0.06 है0, 177 रकबा 0.06 है0, किता 5 रकबा 0.57 है0, का 1/420 भाग, 1 रकबा 0.14 है0, 2 रकबा 0.16 है0, 3 रकबा 0.20 है0, 5 रकबा 0.13 है0, 6 रकबा 0.16 है0, 7 रकबा 0.15 है0, 8 रकबा 0.03 है0, किता 7 रकबा 0.97 है0 का 1/1120 भाग, 4 रकबा 0.15 है0, का 1/840 भाग वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा बत्तनदेवी पत्नि रामप्रसाद जाति माली निवासी गंज तहसील गंज की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। बत्तनदेवी पत्नि रामप्रसाद जाति माली निवासी गंज मिन अपीलान्टान की सगी माता है, जिनका स्वर्गवास दिनाक 11.08.2024 को हो गया है, देहान्त के पश्चात मिन अपीलान्ट द्वारा अपनी विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु एक शपथ–पत्र जिसमे मृतक बत्तनदेवी के सभी वारिसान का उल्लेख कर मृतक बत्तनदेवी का मृत्यू प्रमाण–पत्र व सभी वारिसान के आधारकार्ड लगाकर विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु समस्त दस्तावेजात पटवारी हल्का गंज को विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु दे दिया। उक्त दस्तावेजो के आधार पर पटवारी हल्का गंज द्वारा नामान्तकरण संख्या 918 वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास को पेश किया गया जिस पर बेजा रूप से विरासत का नामान्तकरण यह अंकित करते हुए Patwari Report With Not

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

Supportive Decoument Attach After Re-Send For Reexamine And Attach Decoument Are Mismatch So Mutation is Not Acceptable खारिज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा निर्णय करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई सूचना नही दी गयी। न ही कोनसा दस्तावेज पेश करना है, सूचित किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 39 रकबा 0.3700 है0 का 1/336 भाग, 172 रकबा 0.11 है0 का 1/280 भाग, 18 रकबा 0.03 है0, 20 रकबा 0.03 है0 किता 2 रकबा 0.06 है0 का 1/840 भाग, 359 रकबा 0.67 है0, 370 रकबा 0.63 है0, किता 2 रकबा 1.30 है0 का 1/210 भाग, 173 रकबा 0.28 है0, 174 रकबा 0.09 है0, 175 रकबा 0.08 है0, 176 रकबा 0.06 है0, 177 रकबा 0.06 है0, किता 5 रकबा 0.57 है0, का 1/420 भाग, 1 रकबा 0.14 है0, 2 रकबा 0.16 है0, 3 रकबा 0.20 है0, 5 रकबा 0.13 है0, 6 रकबा 0.16 है0, 7 रकबा 0.15 है0, 8 रकबा 0.03 है0, किता 7 रकबा 0.97 है0 का 1/1120 भाग, 4 रकबा 0.15 है0, का 1/840 भाग वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा बत्तनदेवी पत्नि रामप्रसाद जाति माली निवासी गंज तहसील गंज की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। बत्तनदेवी पत्नि रामप्रसाद जाति माली निवासी गंज मिन अपीलान्टान की सगी माता है, जिनका स्वर्गवास दिनाक 11.08.2024 को हो गया है, देहान्त के पश्चात अपीलान्ट द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु मृतक बत्तनदेवी के सभी वारिसान का विवरण पेश करते हुऐ मृतक बत्तनदेवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र व सभी वारिसान के आधारकार्ड लगाकर विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु समस्त दस्तावेजात पटवारी हल्का गंज को विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु दे दिया। उक्त दस्तावेजो के आधार पर पटवारी हल्का गंज द्वारा नामान्तकरण संख्या 918 वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूरी हेतु तहसीलदार किशनगढबास को पेश किया गया जिस पर बेजा रूप से विरासत का नामान्तकरण यह अंकित करते हुऐ Patwari Report With Not Supportive Decoument Attach After Re-Send For Reexamine And Attach Decoument Are Mismatch So Mutation is Not Acceptable खारिज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, नामान्तकरण में वर्णित मृतक बत्तनदेवी पत्नि रामप्रसाद जाति माली निवासी गंज तहसील किशनगढबास के विधिक वारिसान की पुनः जॉच कर वारिसान को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 12.11.2024 नामान्तकरण संख्या 918 ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/1/25

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)